न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–प्रदीपसिह सांगावत(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या डिकी 119 सन 2022
पंजीयन दिनांक 5.8.2022

1.लाडबाई पुत्री स्व.देवीलाल पालीवाल पत्नी गोपाल पालीवाल निवासी"– बैगू तहसील बैगू जिला–चित्तौडगढ।

–अपीलांट

विरूद्व

1.बंशीलाल पिता स्व.मोतीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज हाल प्रतापनगर चित्तौडगढ ।
2.गोवर्धनलाल पिता स्व.मोतीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज हाल प्रतापनगर चित्तौडगढ ।
3.नारायण पिता स्व.बिहारीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज तहसील भदेसर ।
4.अशोककुमार पिता स्व.बिहारीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।
5.मिठुलाल पिता स्व.'बिहारीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।
6.बसंतकुमार पिता स्व.देवीलालपालीवाल निवासी–कन्नौज ।
7.भगवतीलाल पिता स्व.देवीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।
8.मंजूबाई बेवा देवीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।
9.मांगीबाई पत्नी जयराम धाकड निवासी–सुखवाडा ।
10.रूकमणीबाई पत्नी बगदीराम धाकड निवासी–सुखवाडा ।
11.ओमप्रकाश पिता स्व. भंवरलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।
12.नारायण पिता स्व.शंकरलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।
13.प्रेमशंकर पिता स्व.शंकरलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।
14.पप्पुकुमारी पुत्री स्व.देवीलाल पालीवाल पत्नी मनोज पालीवाल निवासी–बैगू ।
15.कंचनबाई पत्नी देवीलाल धाकड निवासी–सुखवाडा तहसील भदेसर ।
16.राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला–चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 29/2015 प्राथमिक निर्णय एवं डिकीदिनांक 11.2.2019

उपस्थित–श्री छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट
श्री एस.के.ओझा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट01
श्री खूमराज कुमावत–अधि.रेस्पो01,2,3,6,7,8,9,10,14
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज0अधिवक्ता रेस्पो016

निर्णय दिनांक 27.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या01 ने एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–88–53–188 के अन्तर्गत मौजा कन्नौज में स्थित भूमि खसरा नम्बर 726,735,736,748,749,1004 कुल किता–6 रकबा 1.99 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 724,725,740,751,967 कुल किता–5 रकबा 0.68हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 727,730,965/2,966,969,970,1003,1005 कुल किता–8 रकबा 3.05हैक्टेयर व आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नम्बर 982/2 रकबा 0.15 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 731,732,733 कुल किता–3 रकबा 0.1 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 745/1 रकबा 0.43हैक्टेयर व आराजी नम्बर672/1 रकबा 0.09हैक्टेयर व आराजी नम्बर 723/1 रकबा 0.25हैक्टेयर कुल किता–6 रकबा 1.42हैक्टेयर के सबंध में पेश किया गया जो विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा दिनांक 11.2.2019 को प्राथमिक डिकी जारी कर दी जिसके विरूद्व अपीलांट/प्रतिवादी संख्या013 उक्त अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की गयी है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी रेसपोडेन्ट को नोटीस जारी किये गये एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4,5,11,12,13,15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे एवं शेष रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से पे.श की गयी जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट ने धारा–5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर वक्त बहस सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी ने विचारण न्यायालय में सजरा प्रस्तुत किया जिसमे विवादग्रस्त आराजियात स्व. मोतीलाल जी की होकर मोतीलाल के पांच पुत्र बिहारीलाल देवीलाल,गोवर्धन,बंशीलाल व शंकरलाल अंकित किया है एवं यह निवेदन किया कि सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजियात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का संयुक्त हक व हिस्सा निहित है एवं उसी हक हिस्से अनुसार बाहमी बंटवाडा कर अलग अलग काबज हाकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिससे राजस्व रिकार्ड में बाय मिन्डस एवं बाउण्डस पक्षकारो के मध्य हक व हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का पेश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 13 की तामील के बिना ही एक पक्षिय कार्यवाही करते हुये विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिकी जारी करदी गयी जो अवैधानिक है । अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनःदोहरात हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 11.2.2019 निरस्त कराने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक निर्णय व डिकी बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना करते हुये जारी की गयी है जो विधी अनुरूप होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावलयो का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगणके विरूद्व घोषणा बटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्त्र प्रस्तुत किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटीस जारी किये गये जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.1.2017 को अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षयी कार्यवाही की जाकर उक्त पत्रावली में प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 11.2.2019 को पारित की गयी अपीलांट देवीलाल की पुत्री है जो देवीलाल की विरासत में हक व हिस्सा रखती है देवीलाल के अन्य वारिस प्रतिवादी संख्या 14,15 की पत्रावली मे तामील हुई है व प्रतिवादी संख्यए 14 व 15 भी बावजूद सूचना अनुपारिथत रहने से उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित कर हक व हिस्से अनुसार कमिश्नर को मिण्डस एवं बाउण्टस के आधार पर फर्द बंटबवाडा मंगवाये जाने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्राथमिक डिकी पारित की गयी उक्त पत्रावली में अभी कमिश्नर से फर्द बंटवाड़ा प्राप्त होकर अंतिम निर्णय व डिकी पारित होना शेष है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 13 की किसी प्रकार की कोई आपत्ति व ऐतराज है तो वह अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से प्रस्तुत अपील विधि सम्मत नहीं होने से सहवनीय नही है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 29/2015 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 11.2.2019 यथावत रखी जाती है । डिकी पर्चा जारी किया जावें ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(प्रदीपसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 119/2022/डिक्री

1.लाडबाई पुत्री स्व.देवीलाल पालीवाल पत्नी गोपाल पालीवाल निवासी''– बैगू तहसील बैगू जिला–चित्तौडगढ।

–अपीलांट

विरूद्ध

1.बंशीलाल पिता स्व.मोतीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज हाल प्रतापनगर चित्तौडगढ ।

2.गोवर्धनलाल पिता स्व.मोतीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज हाल प्रतापनगर चित्तौडगढ ।

3.नारायण पिता स्व.बिहारीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज तहसील भेदसर ।

4.अशोककुमार पिता स्व.बिहारीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।

5.मिठुलाल पिता स्व.'बिहारीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।

6.बसंतकुमार पिता स्व.देवीलालपालीवाल निवासी–कन्नौज ।

7.भगवतीलाल पिता स्व.देवीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।

8.मंजूबाई बेवा देवीलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।

9.मांगीबाई पत्नी जयराम धाकड निवासी–सुखवाडा ।

10.रूकमणीबाई पत्नी बगदीराम धाकड निवासी–सुखवाडा ।

11.ओमप्रकाश पिता स्व. भांकरलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।

12.नारायण पिता स्व.शंकरलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।

13.प्रेमशंकर पिता स्व.शंकरलाल पालीवाल निवासी–कन्नौज ।

14.पप्पुकुमारी पुत्री स्व.देवीलाल पालीवाल पत्नी मनोज पालीवाल निवासी–बैगू ।

15.कंचनबाई पत्नी देवीलाल धाकड निवासी–सुखवाडा तहसील भदेसर ।

16.राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला–चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 29/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2019 वाद पत्र धारा 88,53व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 29/2015 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 11.02.2019 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,............................ ...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(प्रदीप सिंह सांगावत)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौडगढ